भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †425
दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सीमांकन

†425. श्री राहुल कस्वां:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सीमांकन संबंधी 3,000 से अधिक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के 04 जून, 2025 की समय-सीमा को पूरा नहीं कर सका है;

(ख) यदि हाँ, तो इस देरी के कारण क्या हैं;

(ग) सरकार सीमांकन को पूरा करने के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है ताकि पंचायत चुनावों में सुविधा हो सके और 'एक राज्य, एक चुनाव' में सहायता की जा सके;

(घ) क्या कानूनी हस्तक्षेप से, जैसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय से, यह प्रक्रिया प्रभावित हुई है;

(ङ) क्या सुधारात्मक समय-सीमा या समन्वय तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विस्तृत रूपरेखा और पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 243ग(1) राज्य के विधान मंडल को पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध बनाने का अधिकार देता है परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। तदनुसार, पंचायतों के परिसीमन सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के

पुनर्गठन/परिसीमन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तिथि 21.05.2025 से 04.06.2025 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में, यह प्रक्रियाधीन है क्योंकि जिला कलेक्टरों से पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/परिसीमन के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और उनकी जाँच में काफी समय लग रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का यह कार्य 15 अगस्त, 2025 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उसने अपने बजट में "एक राज्य, एक चुनाव" की योजना की घोषणा की है, जिसका पुनर्गठन/परिसीमन से कोई संबंध नहीं है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और जयपुर पीठ में अब तक कुल 250 रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें माननीय न्यायालय ने केवल राजस्थान के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।

****